कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– 6850 / 12–1 गोपेश्वर, दिनांक 28, जून 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
देहरादून।

द्वारा:– निदेशक / वन संरक्षक नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली के अन्तर्गत गोपेश्वर मंदिर मार्ग से वेतरणी से सिरोखुमा – सिटुणा – बैरागना मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.00 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

महोदय,

विषयाँकित प्रकरण के सम्बन्ध में चाही गई आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	ग्राम पंचायत बैरागना व देवलधार की अनुमति /अनापत्ति निर्धारित प्रारूप/ प्रपत्र पर ग्राम पंचातय अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।	Part 1 के Column 1 के **Additional information Details)** के कम संख्या 1 में **upload** किया गया है।(संलग्न)
2	चिहिन्त संरेखण से आच्छादित हो रहे भूमिधरों के साथ निर्धारित प्रारूप /प्रपत्र पर अनुबंध पत्र/समुचित अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न / अपलोड नहीं है।	Part 1 के Column 1 के **Additional information Details)** के कम संख्या 18 में पृष्ठ संख्या 74 एवं 75 **upload** किया गया है। (संलग्न)
3	मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित भूमि के सम्बन्ध में सम्बन्धित पक्ष /विभाग के साथ संपादित अनुबंध का विवरण संलग्न नही है। मक डिस्पोजल स्कीम /आख्या /तुलनात्मक विवरण प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर अपलोड /उपलब्ध नहीं कराया गया है।	Part 1 के Column 1 के **Additional information Details)** के कम संख्या 18 में **upload** किया गया है। (संलग्न)
4	प्रस्तावित मार्ग की वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से दूरी 10 किमी0 के अन्दर दर्शाया गया है। क्या भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रकरण में समुचित अधिकारी /मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की आख्या अपेक्षित नहीं है ?	प्रस्तावित परियोजना केदारनाथ कस्तूरा मृग विहार की सीमा से बाहर है। परियोजना की कुल लम्बाई 6.00 किमी0 है, परियोजना हेतु कुल याचित भूमि 5.00 है0 से कम है तथा प्रति है0 50 वृक्ष से कम हैं, प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा निस्तारित किया जाना है।

वर्तमान में मोटर मार्ग न होने से क्षेत्र विकास में बहुत पिछडा है, बहाँ बसी जनसख्या का ना ही सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हो पाया है। सामान्य दैनिक कार्यो हेतु भी ग्रामीणों को 7–8 किमी0 की दूरी पैदल तय करनी पडती है। अस्वस्थता तथा महिलाओं को प्रसव आदि की स्थिति में मोटर मार्ग न होने के कारण समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है, जिसे उनके जीवन का संकट उत्पन्न हो जाता है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु जनहित में आवश्यक है, जिसकी प्रवल संस्तुति की जाती है।

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीया,

(नीतू लक्ष्मी एम0)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

विन्दु सं० 1.

वन पंचायत प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गोपेश्वर, बैतरणी, सिरोखाम, सेन्टुना नव निर्माण मोटर मार्ग बनने पर वन पंचायत देवलधार सभा देवलधार को आपत्ति नही है। भूमि हस्तान्तरण नियमानुसार होने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान, व वन पंचायत संरपंच के समक्ष दिया गया है। ताकि सम्बन्धित विभाग को प्रमाण पत्र दिया जाय,

गोपेश्वर से सिरोखोम, सेन्टुना तक रोड़ बनने पर ग्राम पंचायत देवलधार को किसी भी प्रकार से आपत्ति नही है।

प्रधान ग्राम पंचायत देवलधार
ह०
दिनांक
वि० ख० दशोली चमोली

सरपंच ... पंचायत
देवलधार
जयन्ती देवी
30'12'15
जिला चमोली

विन्दु सं० - 2

अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में गोपेश्वर मंदिर मार्ग से वैतरणी-सिरोखोमा-सिटुणा -बैरागना मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत गोपेश्वर मंदिर मार्ग से वैतरणी-सिरोखोमा-सिटुणा-बैरागना मोटर मार्ग निर्माण जनहित का निर्माण है। इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ग्राम वासियों की आम सभा हुई। आम सभा में निर्णय लिया गया कि इस निर्माण पर पड़ने वाली नाप भूमि/सिविल/वन पंचायत/आरक्षित भूमि आदि किसी प्रकार की भूमि में मोटर मार्ग निर्माण में इस ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है। मोटर मार्ग का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जाता है ।

प्रधान ग्राम पंचायत बैरागना
ह० प्रधान
दि० 18/01/2015
वि० ख० दशोली (चमोली)

विषु सं० 2

आम सहमति पत्र

:o:

आज दिनांक 22.02.2014 को ग्राम सिरोखोमा में श्री रघुबीर सिंह माहेणाल एवं ग्राम प्रधान खिरौ के अध्यक्षता में लोनिवि विभाग के अवर अभियन्ता श्री अमीन सिंह रावत के समक्ष समस्त निम्न हस्ताक्षर सुदा ग्रामीणों के समक्ष वैतरणी-सिरोखोमा-वैरागना मोटर मार्ग 6 कि०मी० के सीमांकन सर्वे के सम्बन्ध में बैठक की गई है। बैठक में सीमांकन के सर्वे में यदि कोई भी ग्रामवासी का कोई मकान, गोशाला, खेत बगीचा को आदि आयेगा तो उसे उचित मुआवजा देने पर हटाने पर कोई आपत्ति नहीं है। सर्वे में जब भी अधिकारी व कर्मचारी आयेगे तो हमेशा ग्रामवासियों की सहायता करने की इच्छा करें, ताकि सर्वे में सहयोग कर सकें।

हम है समस्त ग्राम वासी
सिरोखोमा

2- रघुबीर सिंह निवर्तमान प्रधान
खिरौ लामबगड़

Doc Attested

सत्य प्रतिलिपि
अधिशासी अभियन्ता
खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

(होशियार सिंह मार्तोलिया)

(गोविन्द सिंह मार्तोलिया)

(जगत सिंह मार्तोलिया)

3

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सेवा में,

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण खण्ड लो० नि० वि०

गोपेश्वर – चमोली

~~महोदय~~

विषय – अनापत्ति विषय के सम्बन्ध में

महोदय,

सविनय निवेदन इस प्रकार है कि आज दि० 21.02.2014 को ग्राम सेन्टुणा कि बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गोपेश्वर सेन्टुणा पेराजना मोटर मार्ग रोड के सर्वेक्षण में समस्त ग्राम वासियों किसी भी प्रकार कि आपत्ति नहीं है।

(1) दिलवर – [illegible]
(2) सेठू – [illegible]
(3) माधो सिंह – ~~माधोसिंह~~
(4) विनोद सिंह – [illegible]
(5) कुन्दन सिंह – [illegible]
(6) भागरती देवी – [illegible]
(7) मंजू – मंजू देवी
(8) पुष्पा देवी – शुक्री देवी
(9) जयन्ती – जयन्ती
(10) दुर्गा – [illegible]
(11) तारा देवी – भागीरथी
(12) श्याम लाल – श्याम
(13) इन्द्र सिंह – रुक्मणी देवी, [illegible]

भवदीय
समस्त ग्राम वासि
सेन्टुणा

[illegible]
सहायक अभियन्ता
[illegible] लो० नि० वि०
गोपेश्वर

विनु.सं० 3-

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में गोपेश्वर मंदिर मार्ग से वैतरणी–सिरोखोमा–सिटुणा–बैरागना तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु मलवा निस्तारण योजना।

गोपेश्वर मंदिर मार्ग से वैतरणी–सिरोखोमा–सिटुणा–बैरागना मोटर मार्ग में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, गोपेश्वर के द्वारा उत्पादित होने वाले मलवे के निस्तारण की योजना का अध्ययन किया गया तथा संतोषप्रद पाते हुए इससे सहमति प्रदान की गई।

(आकाश कुमार वर्मा)
उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर
उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।